


श्रीरूप आवासन आयुक्त  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर



विषय :- मृत्यु पश्चात् पंजीकरण स्थानान्तरण हेतु।

महोदय,

पंजीकृत प्रार्थी / आवंटी श्री .....  
की मृत्यु दिनांक ..... को हो चुकी है। मैं मृतक का उत्तराधिकारी /  
उत्तराधिकारिणी हूँ। अतः मेरे नाम उक्त पंजीकरण / आवंटन करने के आदेश फरमाये जावें। मेरे अतिरिक्त  
मृतक के निम्न पुत्र / पुत्रियाँ, विधवा पत्नी / माता व अन्य वारीसान के नाम निम्नलिखित हैं :-

पुत्र श्री .....

पुत्री .....

विधवा पत्नी .....

माता .....

अन्य .....

दिनांक

संलग्न :- (1) मेरा शपथ-पत्र।

(2) मृत्यु प्रमाण-पत्र।

(3) क्षतिपूरक-पत्र।

(4) उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र।

(5) अन्य उत्तराधिकारियों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

10/- के स्टाम्प पेपर पर

## शपथ-पत्र

श्री/श्रीमती.....पति/पत्नी.....

श्री.....निवासी.....

एतद द्वारा शपथपूर्वक बयान करता हूँ :

1. यह कि श्री/श्रीमती.....पति/पत्नी.....  
.....ने आवासन मण्डल में मकान हेतु आवेदन किया था, जिसका आवंटन/  
पंजीकरण संख्या.....है।
2. उक्त आवंटन पर आवासन मण्डल द्वारा श्री/श्रीमती.....  
को मकान संख्या.....स्थान जयपुर में आवंटित कर दिया गया है  
जिस पर वर्तमान में मेरा/आवासन मण्डल का कब्जा है।
3. उक्त पंजीकृत आवंटि का देहान्त दिनांक.....को हो गया है और  
मृतक के निम्नलिखित उत्तराधिकारी हैं :

- (क) पुत्र :
- (ख) पुत्रियां :
- (ग) धर्मपत्नी :
- (घ) माता :
- (ङ) पिता :

अन्य उत्तराधिकारियों व मेरे अतिरिक्त श्री/श्रीमती.....

(मृतक का नाम) के अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं हैं। उक्त पंजीकरण/आवंटित मकान को मेरे नाम हस्तान्तरित करने में अन्य उत्तराधिकारी को किसी प्रकार की कोई आपत्ती नहीं है।

अन्य उत्तराधिकारियों की अनापत्ति हेतु घोषणा-पत्र, प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

मैं श्री/श्रीमती.....उपरोक्त शपथगृहिता शपथपूर्वक  
बयान करता हूँ कि शपथ-पत्र के मद सं. 1 से 4 तक के कथन मेरी निजी जानकारी में विल्कुल सत्य है। इसमें  
कुछ तथ्य छिपाया नहीं गया है। अतः ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथकर्ता

## क्षतिपूर्ति बन्धक-पत्र

ह क्षतिपूर्ति बन्धक-पत्र दिनांक ..... को एक ओर से श्री/श्रीमती .....  
पति/पत्नी निवासी .....

जो एतद् द्वारा प्रथम भाग का पक्ष कहलायेगा जिसके अर्थ में जब तक प्रसंग में विरोध नहीं हो, उसके उत्तराधिकारी पदोत्तरवर्ती (अभिहस्ताक्षरकर्ता सम्मिलित होंगे और राजस्थान आवासन बोर्ड, सवाई मानसिंह स्टेडियम के पीछे, भगवान बारा रोड़, जयपुर) जो एतद् पश्चात् दूसरे भाग का पक्ष कहलायेगी, जिसके अर्थ में अब तक कोई विरोध नहीं हो, उसके कार्यालय में अभिस्थान कर्ता और उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे।

चूंकि मृतक श्री/श्रीमती ..... ने दूसरे भाग के पक्ष को किरायाक्रय पद्धति योजना/नकद भुगतान के आधार पर आवेदन किया है, कृपया देखें पंजीकरण/आवंटन संख्या .....

चूंकि मृतक के नाम दिनांक ..... को इसके संलग्न 'क' में विशेष रूप से वर्णित गृह संख्या ..... का आवंटन किया गया है।

चूंकि प्रथम भाग के पक्ष की यह इच्छा है कि इस आवंटन का स्थानान्तरण यह कहते हुये कि वह प्रथम भाग के पक्ष मृतक श्री/श्रीमती ..... का कानूनी उत्तराधिकारी है, उसके नाम कर दिया जावे।

चूंकि द्वितीय भाग के पक्ष को स्थानान्तरण पर कोई आपत्ती नहीं है परन्तु यह कि प्रथम भाग का पक्ष दूसरे भाग के पक्ष को समस्त प्रकार की घटनाओं, हानियों, हानि के क्लेमों, जो कि इस प्रकार के आवंटन से होंगे की क्षतिपूर्ति करने को तैयार हों।

अब यह सलेख निम्न प्रकार साक्ष्य रूप से निष्पादित किया है कि प्रथम भाग का पक्ष स्पष्ट असंदिग्ध रूप है।

यह घोषित करता हूं कि प्रथम भाग का पक्ष, मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी है। मृतक श्री/श्रीमती ..... का प्रथम भाग का पक्ष के अतिरिक्त कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है।

कि प्रथम भाग पक्ष एतद् द्वारा स्पष्ट रूप से इसका दायित्व लेता है कि यदि प्रथम भाग के पक्ष के नाम पर इस परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले आवेदन पर अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति उठाने से कोई नुकसान हानि या क्लेम उत्पन्न हो तो प्रथम भाग का पक्ष उसकी पूर्ति और पुनः पूर्ति करेगा और इस प्रकार से हुये समस्त नुकसान हानियां क्लेम हेतु वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और वह दूसरे भाग के पक्ष को इसकी प्रति पूर्ति एवं हर्जाना अदा करेगा और इस सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली समस्त आपत्तियों का उत्तरदायी होगा। कि प्रथम भाग का पक्ष इस पर सहमत है कि दीवानी दायित्व के अतिरिक्त फौजदारी और ऐसी ही अन्य कार्यवाही का दायित्व जिसे दूसरा पक्ष के विरुद्ध चलाने का भी उत्तरदायित्व उस पर होगा।

कि प्रथम भाग का पक्ष उसे श्री/श्रीमती ..... के उत्तरदायित्व के रूप में जो मकान आवंटित हुआ है के सम्बन्ध में किराया क्रय या निरन्तर ठेके सम्बन्धी इकरार-नामों के समस्त मर्दों एवं शर्तों का वह पूर्णतः पालन करेगा।

कि प्रथम भाग का पक्ष आगे इस प्रकार ही सहमत है कि इस मकान से सम्बन्धित जो भी किश्तें देय हो या समय-समय पर जो भी किश्तें देय होगी उन सबका वह भुगतान द्वितीय पक्ष को करता रहेगा।

कि प्रथम भाग का पक्ष ऊपर सन्दर्भित आवंटित के सम्बन्ध में द्वितीय भाग के पक्ष से सम्बन्धित जो भी नियम, विनियम व कानूनी होंगे उनका वह अक्षरशः पालन करेगा।

### अनुसूचि

साक्ष्य के रूप में क्रमशः प्रथम भाग के पक्ष और द्वितीय भाग के पक्ष में अपने हस्ताक्षर किये :-

साक्षी 1

प्रथम भाग का पक्ष

साक्षी 2

द्वितीय भाग का पक्ष

## घोषणा-पत्र

हम निम्नलिखित घोषणाकर्ता, जो कि मृतक श्री /श्रीमती .....

पति/पत्नि श्री ..... के वारिसान है, एतद् द्वारा

घोषणा करते हैं कि जो पंजीकरण/आवंटन श्री/श्रीमती .....

के नाम हैं (मृतक का नाम) को मृतक का/की ..... (रिश्ता)

श्री/श्रीमती ..... के नाम कर दिया जावे, हमको

किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और इस सम्बन्ध में हम अपने अधिकारों का त्याग करते हैं, हमारे

अतिरिक्त अन्य कोई उक्त हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आपत्ति करेगा तो समस्त दायित्व हमारा होगा।

(1)

(2)

(3)

(4)